न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 08 / 2016

प्रविष्टि दिनांक 18.05.2016

दुर्गालाल पुत्र बालूराम जाति कीर निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0

.............प्रार्थी

बनाम

1–नन्दकिशोर पुत्र भवंरलाल जाति खंगार (बाबाजी)निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0

2–भू–आवंटन सलाहकार समिति देवली जरिये तहसीलदार देवली

.... अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री पर्युष जैन,अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 29.12.2021

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.06.1983 को प्रतिपक्षीं संख्या–1 को साबिक आ0ख0नं0 1329 रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम देवडावास तहसील देवली में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाब पेश किया कि विवादित जमीन जो अप्रार्थी को आवंटित हुई है,उस पर अप्रार्थी का आवंटन के बाद से कभी कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही दुर्गालाल पुत्र बालूराम जाति कीर व इनके पूर्वजो का कब्जा चला आ रहा है। [illegible] के बाद प्रथम व द्वितीय वर्ष मे मेरे द्वारा काई काश्त नही की गई है। आवंटन के समय वि[illegible] खाली ना होकर [illegible]न के हाल दुर्गालाल व उनके पूर्वजो के कब्जे मे चल[illegible] है जिस पर प्रार्थी खसरा नम्बर 29 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर [illegible]

का कब्जा है। आराजी खसरा नम्बर 1329 रकबा 5 बीघा हाल आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 1.25 है0 भूमि का दिनांक 29.06.1983 को आवंटन किया गया था उक्त आवंटन को निरस्त कर आवंटित भूमि को सिवायचक कर दिया जावे तो मुझे काई ऐतराज नही है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 ने आवंटन आदेश छल–कपट एंव मिथ्या वचन करते हुऐ असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया है जो कि आवंटन की दिनांक को उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी संख्या 1 का कब्जा नही था। प्रतिपक्षी संख्या –1 ने आवंटन नियमो की पालना नही की है। आवंटन के बाद प्रथम वर्ष मे आधी भूमि और द्वितीय वर्ष मे आधी भूमि को काश्त नही किया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है और आज भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व कोई अधिसूचना जारी नही की और न ही आवंटन पूर्व की कोई कानूनी औपचारिकताऐ पूरी की है। आवंटन की समय उक्त भूमि खाली नही थी। विवादित आराजीयात पर सम्वंत 2031 से 2039 तक प्रार्थी के पिता का और उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी का कब्जा है। आवंटन के समय उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 1329 थे उसके बाद देवली मे सेटलमेन्ट होने से उक्त भूमि के खसरा नम्बर 778 बना दिये उसके पश्चात करेलिया की ढाणी के राजस्व ग्राम बन जाने के कारण उसके नये खसरा नम्बर 29 रकबा 1.25 है0 बना दिये गये और प्रतिपक्षी संख्या–1 की खातेदारी मे लगा दी गई,उक्त खसरा नम्बर पर भी प्रार्थी का ही कब्जा है और ग्राम देवडावास को तहसील दूनी मे शामिल किया गया है। प्रतिपक्षी संख्या–1 उसके नाम अंकित अवैध खातेदारी का फायदा उठाकर उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति व संस्था को रहन,दान बैचान करना चाहता है। अतः आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर सहमति प्रदान करते हुए आवंटन खारिज करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटन खारिज कर सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिपक्षी को भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.06.1983 को आ0ख0नं0 1329 रकबा 5 बीघा भूमि ... तहसील देवली मे आवंटन किया गया है।

अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि ... द्वारा आव... की पालना नही ... है, आवंटी की गई है,आवंटी का आवंटित भूमि पर ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सद्भावी कृषक नही है। विवादित भूमि पर आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 ने काश्त नही की गई है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने भी अभिभाषक प्रार्थी के कथन पर सहमति प्रदान की है।

पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजात नही है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि काश्त की गई हो।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14 की उपधारा (3) मे आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष मे भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष मे आवश्यक रूप से जोतने की शर्त है,परन्तु अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा उक्त नियम की पालना मे आवंटित भूमि को तत्समय नही जोता तथा उसके पश्चात भी आज तक नही जोता है।

आवंटी द्वारा आवंटित भूमि मे काश्त न कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है साथ ही उभयपक्ष आवंटन खारिज करने हेतु सहमत है।

अतः उभयपक्ष की सहमति से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नन्दकिशोर पुत्र भवंर लाल जाति खंगार (बाबाजी)निवासी देवडावास तहसील देवली जिला टोंक को दिनांक 29.06.1983 को ग्राम देवडावास की आ0ख0नं0 1329 मे रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दूनी आवंटन से पूर्व की स्थिति का राजस्व रिकार्ड मे अंकन की कार्यवाही नियमानुसार करे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/21

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:05 IST
Reason: SelfAttested